बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर (म.प्र.)

सामग्री परिवहन कार्य हेतु

अल्पकालीन ई–निविदा

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर (म.प्र.)

पताः– डेयरी प्लांट, नरसिंहपुर रोड, सिरौंजा, सागर (म.प्र.)

ई–मेल –sanchimktsagar@gmail.com

वेव साईट– www.sanchidairysagar.com

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर (म.प्र.)

सामग्री परिवहन कार्य हेतु अल्पकालीन ई–निविदा

निविदा क्र.:–289/विपणन/बु.स.दु.सं./सागर **दिनांक 15/02/2024**

एम.पी.सी.डी.एफ. की इकाई बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ द्वारा अन्य संयंत्रों/गोडाउन से भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन आदि मध्य प्रदेश के शहरों के अतिरिक्त राज्य के बाहर भी आवश्यकतानुसार सामग्री का परिवहन किया जा सकता है। उक्त कार्य को करने के इच्छुक परिवहनकर्ता हेतु ऑनलाइन दरें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा फार्म क्रय, डाउनलोड एवं निविदा भरने की संपूर्ण जानकारी www.mptenders.gov.in पर दिनांक 07.03.2024 से प्राप्त की जा सकती हैं।

निविदा का विस्तृत विवरण/कार्य एवं शर्ते कार्यालय की वेबसाईट www.sanchisagar.com पर देखी जा सकती हैं। निविदा में कोई भी परिवर्तन उपरोक्त वेबसाईट के अलावा अन्य स्रोत पर अधिसूचित नहीं किया जायेगा, इसलिए नियमित रूप से उपरोक्त वेब साईट पर जाएँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के पास किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को मान्य या अमान्य करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

निविदा प्रपत्र की राशि रू.	प्रतिभूति राशि रू.	निविदा भरने की प्रारंभिक दिनांक एवं समय	निविदा दर भरने की अंतिम दिनांक एवं समय	निविदा खुलने की दिनांक	इन्सूलेटेड वाहन की क्षमता
500/–	50,000/–	07.03.2024 समयः 01:00 बजे से	13.03.2024 समयः 01:00 बजे तक	14.03.2024	6 मे.टन. एवं 9 मे.टन

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ
मर्यादित, सागर

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर (म.प्र.)

अल्पकालीन निविदा प्रपत्र (ई–निविदा)

निम्नानुसार सागर संयंत्र से अन्य दुग्ध संयंत्रो/गोडाउन भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन आदि मध्य प्रदेश के शहरो के साथ राज्य के बाहर भी आवश्यकतानुसार सामग्री का परिवहन किये जाने हेतु ई–निविदा के माध्यम से इंसूलेटेड वाहन की दरें आमत्रित की जाती है।

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रतिभूति राशि	कार्य की समय सीमा
1	दुग्ध उत्पाद एवं आवश्यकतानुसार अन्य सामग्री का परिवहन	रू. 50,000/–	कार्य आदेश के अनुसार

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ
मर्यादित, सागर

ANNEXURE-I

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर (म.प्र.)

– तकनीकी प्रपत्र –

1. निविदाकार का नाम ————————————
   (पिता के नाम सहित)
2. निविदाकार फर्म का नाम एवं पता ————————————
   ————————————
3. कार्यालय का पता ————————————
   (अ) दूरभाष/मोबाईल नम्बर ————————————
   (ब) E-Mail ————————————
4. निविदा के साथ जमा राशि ————————————
   विवरण (ऑनलाइन जमा की गई राशि का विवरण)
5. PAN No. ————————————
   (छायाप्रति अपलोड करे)
6. GST No. ————————————
   (छायाप्रति अपलोड करे)
7. FSSAI License No. ————————————
   (छायाप्रति अपलोड करे)
8. यदि पार्टनरशिप फर्म है तो ————————————
   (पार्टनर के नाम एवं पते अंकित करे)

——घोषणा——

एतद् द्वारा मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण मेरे/हमारे पूर्ण विवेक अनुसार सत्य है तथा वे परिणामों के सम्पूर्ण परिज्ञान के साथ प्रस्तुत किये गये है। मैंने/हमने संबंधित आमंत्रण पत्र, निविदा शर्तो तथा सूचीं को पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है, वे मुझे/हमें मान्य हैं।

स्थानः–

दिनांकः– निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

ANNEXURE-II

निविदा शर्ते

1. निविदा प्रपत्र पूर्ण कर निविदा प्रपत्र राशि रू. 500/-(रू. पाँच सौ मात्र) एवं प्रतिभूति राशि रू. 50,000/- (रू. पचास हजार मात्र) का ऑनलाइन www.mptenders.gov.in के माध्यम से भुगतान कर निविदा भरी जा सकेगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।
2. निविदाकर्ता की दर स्वीकृत होने पर न्यूत्तम दर प्राप्त प्रथम निविदाकार की प्रतिभूति राशि को छोड कर शेष निविदाकर्ताओ की प्रतिभूति राशि वापिस हो जावेगी।
3. परिवहनकर्ता को परिवहन कार्य की सभी शर्ते मान्य होगी।
4. परिवहनकर्ता को तकनीकी निविदा के रूप में ANNEXURE-I, PAN, GST, FSSAI License/Registration No, Company/Firm Registration और ITR of 2 Assessment Year (2022-23, 2023-24) की छायाप्रति ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। उपरोक्त दस्तावेज कम या निविदा अनुसार न पाये जाने की स्थिति में संबंधित निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
5. परिवहन दर अनुमोदन के पश्चात प्रभावशील मानी जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर को आवश्यकतानुसार परिवहन सामग्री की मात्रा को घटाने या बढ़ाने हेतु पूर्ण अधिकार रहेगा।
6. परिवहनकर्ता को परिवहन करने के पश्चात परिवहन का बिल भुगतान हेतु कार्यालय में माल प्राप्ति की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।
7. परिवहनकर्ता को जी.एस.टी. पृथक से देय होगा। जिसे देयक मे क्लेम करना होगा। अन्य टैक्स परिवहन दरों मे शामिल होगे।
8. परिवहनकर्ता द्वारा सामग्री की मात्रा निश्चित समयावधि में यदि परिवहन नहीं की जाती है तो संघ द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने पर अधिक लगने वाली राशि की वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी।
9. परिवहनकर्ता द्वारा दर अनुमोदन के उपरांत वाहन निर्देशानुसार नहीं भेजे जाते है, तो कार्य आदेश निरस्त कर अमानत राशि जप्त कर, अन्य परिवहनकर्ताओ से कार्य कराया जावेगा।
10. निविदाकर्ताओं को यह विदित हो कि वे निविदा दरे प्रस्तुत करते समय ध्यान रखें कि वाहन मे सामग्री की मात्रा, प्रदेश एवं केन्द्र सरकार के परिवहन नियमों के अन्तर्गत ही भरा जावेगा।
11. एक अथवा समस्त निविदा को मान्य या अमान्य करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागरका रहेगा।
12. ठेके की अवधि कार्य आदेश जारी करने की दिनांक से 01 माह या कार्य समाप्ति तक रहेगी।
13. सामान्यतः परिवहन हेतु लगने वाले खाली वाहनों की मांग के विषय मे सूचना ठेकेदार को इस कार्यालय द्वारा दी जावेगी, परन्तु मूलतः संयंत्र की आवश्यकतानुसार परिवहन हेतु लगने वाले वाहन की मांग प्राप्त करना ठेकेदार का ही कर्तव्य होगा। ठेकेदार द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने की दशा मे यदि अतिरिक्त वाहन द्वारा कार्य कराया जाता है तो ठेकेदार से अतिरिक्त परिवहन भुगतान राशि की वसूली द्वितीय पक्ष अर्थात परिवहन ठेकेदार के देयकों से की जावेगी।
14. परिवहन कार्य के लिये संघ द्वारा मांग करने पर 2 घंटे मे वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में संघ द्वारा अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था कर कार्य कराया जावेगा जिसमें होने वाले अधिक भुगतान की राशि ठेकेदार के देयक से वसूल की जावेगी।

15. साधारणतः संघ मे वाहन खाली करने का समय कार्य दिवस मे प्रातः 9.00 से सायंकाल 5.00 बजे तक रहता है, तत्पश्चात वाहन आने पर संघ परिसर में खडा रहेगा। संघ परिसर में वाहन हाल्ट होने की स्थिति में अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
16. परिवहन ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा।
17. परिवहन ठेकेदार को भुगतान हेतु अपना मुद्रित देयक दो प्रतियों मे वैधानिक जानकारी उल्लेखित कर माल प्राप्ति की वैध रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।
18. नियमानुसार टैक्स का कटोत्रा देयकों से किया जावेगा, अन्य कोई भी अतिरिक्त व्यय का भुगतान नही किया जाएगा।
19. प्रदायकर्ता द्वारा प्रदायित सामग्री की प्राप्ती चालान अनुसार प्राप्त की जा कर उसी अवस्था एवं मात्रा में बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ को/से अन्य दुग्ध संघ या गोडाउन को/से प्रदाय करना परिवहनकर्ता की जावाबदारी होगी।
20. परिवहन करते समय मार्ग मे किसी प्रकार की टूट–फूट नुकसान, सामग्री मे कमी आदि के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इससे संबंधित राशि उसके परिवहन देयक एवं अमानत राशि से वसूल की जावेगी।
21. परिवहन ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों का व्यवहार संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों व हम्मालो के साथ सौहार्द्रपूर्ण होना चाहिये। यदि वाहन ड्रायवर की असावधानी से संघ की जान–माल, सम्पत्ति आदि की कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
22. परिवहन ठेकेदार के वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी भी ठेकेदार की होगी व यदि इस बाबत् कोई हानि होगी तो राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
23. उपरोक्त शर्तो के अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा उनके अधीनस्थ अन्य अधिकारी द्वारा समय–समय पर जो परिवहन संबंधी सूचनाये/आदेश दिये जावेगे, उनके पालन हेतु ठेकेदार बाध्यकारी होगा।
24. यह कि उक्त अनुबंध प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के उत्तराधिकारियों पर समान रूप से प्रभावशील रहेगा।
25. स्वीकृत दरें कार्य आदेश में वर्णित अवधि तक मान्य रहेगी, जो कि अपरिवर्तनीय होगी।
26. आर्बीटेशन–
    –किसी भी प्रकरण में सामग्री/सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा।
    –निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
27. किसी भी वाद विवाद होने पर न्यायालयीन क्षेत्र सागर (म.प्र.) होगा।

ANNEXURE-III

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर (म.प्र.)

दरें केवल ऑनलाइन Excel format में भरी जावेगी

क्रमांक	कार्य का नाम	वाहन क्षमता	परिवहन दर रू. (प्रति किलो मीटर)
1	दुग्ध पदार्थ एवं आवश्यकतानुसार अन्य सामग्री का परिवहन	6 मे.टन.	केवल ऑनलाईन भरें
2		9 मे.टन.	केवल ऑनलाईन भरें

1. परिवहन दर में अन्य टैक्स शामिल होगें।
2. स्कोप निर्धारण किया पाना उचित होगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

CHECK LIST BEFORE TENDER SUBMISSION

S.No	Tender Submission Check Points (mandatory documents)	Check before submission (write Yes or No)
1.	Online tender EMD payment transaction acknowledgement or MSME certificate	
2.	ANNEXURE-ITechnical Format (Completely filled) (with seal & sign)	
3.	PAN Card Copy (with seal & sign)	
4.	GST Certificate Copy (with seal & sign)	
5.	FSSAI License/Registration Copy (with seal & sign)	
6.	Company/Firm Registration Copy (with seal & sign)	
7.	ITR of Assessment Year (2022-23, 2023-24) (with seal & sign)	
8.	Any Other documents (with seal & sign) ……………………………………………..……………....	

- उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्वच्छ छायाप्रति, निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील के साथ ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है।
- उपरोक्त दस्तावेज कम या निविदा अनुसार न पाये जाने की स्थिति में संबंधित निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।